भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1109
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सौराष्ट्र भाषा

†1109. **डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सौराष्ट्र भाषा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने केंद्र में भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं को विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): वर्तमान में, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सौराष्ट्र भाषा हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जनगणना के अनुसार, सौराष्ट्र/सौराष्ट्री गुजराती भाषा नाम के अंतर्गत वर्गीकृत एक मातृभाषा है। भारत सरकार की नीति सौराष्ट्र भाषा सहित सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों को अनिवार्य बनाती है। एनईपी सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करती है और जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और वरीयतः कक्षा 8 तक शिक्षण का माध्यम गृह भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा को व्यवस्था करती है। नीति में गृह भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है। एनईपी की सिफारिशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) सहित विभिन्न हितधारकों को मातृभाषा/भारतीय भाषाओं में शिक्षण के माध्यम हेतु विभिन्न भाषाओं में साहित्य और शिक्षा सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया

गया है। सभी अनुसूचित/गैर-अनुसूचित भाषाओं के लिए कार्य करने वाले केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरु ने स्वयं के भारतवाणी पोर्टल पर तमिल-सौराष्ट्री सामग्री अपलोड की है।

***